



न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठारीन अधिकारी-

कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

गिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

81/2017/प्रा.पत्र/2017

17.11.2017

26.07.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1- श्री हरिराम विजय पुत्र मोहन लाल विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स दिलखुश किराणा स्टोर आंवा रोड दूनी जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 3 आवा रोड दूनी जिला टोंक राज0

2- मैसर्स दिलखुश किराणा स्टोर आंवा रोड दूनी जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 26.07.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.07.2017 को समय सांय 04.02 पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स दिलखुश किराणा स्टोर आंवा रोड दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री हरिराम विजय पुत्र मोहन लाल- विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स दिलखुश किराणा स्टोर आंवा रोड दूनी जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 3 आवा रोड दूनी जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी रामदेव ब्राण्ड, डेयरी ब्राइट, श्री कृष्णा ट्रेड मार्क व अन्य ब्राण्ड के साथ मिल्क बेस्ट मूल पैक (Ghee Miik Best Brand Original pack) जिसके बैच नं0 5 व पैकिंग दिनांक मई 2017 थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री हरिराम विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हरिराम विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में 499-499 ग्राम के 15 नग घी रामदेव ब्राण्ड, डेयरी ब्राइट, श्री कृष्णा ट्रेड मार्क व अन्य ब्राण्ड के साथ मिल्क बेस्ट मूल पैक (Ghee Miik Best Brand Original pack) गे से 4 नग ज्यो का ल्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के सगान कीमत एफ.बी.ओ. श्री- हरिराम विजय को रू0 380/- अक्षरे तीन सो अस्सी रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा घी रामदेव ब्राण्ड, डेयरी ब्राइट, श्री कृष्णा ट्रेड मार्क व अन्य ब्राण्ड के साथ मिल्क बेस्ट मूल पैक (Ghee Miik Best Brand Original pack) 4 नग को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I-1647 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1647 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. हरिराम विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिपन व रीपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्ध कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य विकित्सा एवं स्वारथ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4002 दिनांक 30.08.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/521/एक्ट/2017/621 दिनांक 08.08.2017 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 24.10.2017 अनुसार हरिराम विजय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घी रामदेव ब्राण्ड, डेयरी ब्राइट, श्री कृष्णा ट्रेड मार्क व अन्य ब्राण्ड के साथ मिल्क बेस्ट मूल पैक (Ghee Miik Best Brand Original pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2 (i) (ii) के अनुसार असुरक्षित (Unsafe) / मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा असुरक्षित (Unsafe) / मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का घी रामदेव ब्राण्ड, डेयरी ब्राइट, श्री कृष्णा ट्रेड मार्क व अन्य ब्राण्ड के साथ मिल्क बेस्ट मूल पैक (Ghee Miik Best Brand Original pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किररी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी रामदेव ब्राण्ड, डेयरी ब्राइट, श्री कृष्णा ट्रेड मार्क व अन्य ब्राण्ड के साथ मिल्क बेस्ट मूल पैक (Ghee Miik Best Brand Original pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में असुरक्षित (Unsafe) / मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी रामदेव ब्राण्ड, डेयरी ब्राइट, श्री कृष्णा ट्रेड मार्क व अन्य ब्राण्ड के साथ मिल्क बेस्ट मूल पैक (Ghee Miik Best Brand Original pack) का नमूना जांच में असुरक्षित (Unsafe) / मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री हरिराम विजय पुत्र मोहन लाल विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स दिलखुश किराणा स्टोर आंवा रोड दूनी जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 3 आवा रोड दूनी जिला टोंक राज० पर शास्ती 5,500/- (अक्षरे पांच हजार पांच सौ रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.07.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली, फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याया निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०